न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 242/2022

निर्णय दिनांक :– 15/06/2023

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. अश्विनी कुमार दाधीच पुत्र श्री दुष्यन्त कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार महोदय तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए बाबत किये जाने पत्थरगढी

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 8 खसरा नम्बर 29 रकबा 1.08 है0, खसरा नम्बर 37 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 6 रकबा 1.65 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 3.29 है0 वाके ग्राम सरकावास पटवार हल्का देवड़ावास तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के सीमा चिन्ह्र मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है। जिसके कारण मोके पर प्रार्थी एवं अड़ोस पड़ोस के खातेदारो के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने के संभावना उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार दूनी को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः– उक्त आराजी आवेदक की खातेदारी में दर्ज है और कब्जेकाश्त है। आवेदक का अन्य पड़ोसी

खातेदारो से कोई सीमा विवाद है। आवेदक ने पड़ोसी खातेदारों को पक्षकार बनाया है। आवेदक की खातेदारी भूमि आराजी ख. नं. 29 व ख. नं. 6 के बीच सिवायचक पट्टी है जो मोके पर खातेदारी में शामिल है। उक्त आराजी के संबंध मुताबिक जमाबंदी किसी न्यायालय स्थगन नहीं है। सीमाज्ञान के बारे में पूछताछ के दोरान जानकारी नहीं होना बताया।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार दूनी को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबन्दी सम्वत **2071–2074** में अंकित खाता संख्या 8 खसरा नम्बर 29 रकबा 1.08 है0, खसरा नम्बर 37 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 6 रकबा 1. 65 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 3.29 है0 वाके ग्राम सरकावास पटवार हल्का देवड़ावास तहसील दूनी जिला टोंक में प्रार्थी का कब्जाकाश्त है तो विधिवत् पत्थरगढी की जावे अन्यथा प्रार्थी की उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थी को अवगत करावे तथा आराजी ख. नं. 29 व ख. नं. 6 के बीच में सिवायचक पट्टी है जो मोके पर खातेदारी में शामिल है को अतिक्रमण/कब्जे से मुक्त करवाकर कब्जेराज लेवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली